लोक प्राधिकरणों को जवाबदेह ठहराने के लिए आरटीआई का उपयोग कैसे करें?

<u>शब्दकोष</u>

I. केंद्रीय सूचना आयोग- आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (ख) में तहत परिभाषित। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में शिकायतों और अपीलों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

II. सूचना - धारा 2(च) "सचना" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, झापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने. माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है;

III. लोक प्राधिकरण- 2 (ज) "लोक प्राधिकारी" से.

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा , स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत,

i. कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;

ii. कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

IV. सूचना का अधिकार- 2(ञ) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है

i. कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

ii. दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना:

iii. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

iv. डिस्केट फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्टानिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना; (ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत

V. राज्य सूचना आयोग- आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत परिभाषित। राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के अधीन लोक प्राधिकरणों के संबंध में शिकायतों और अपीलों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

1. पृष्ठभूमि

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद 'आरटीआई' के रूप में संदर्भित) सार्वजनिक प्राधिकरणों से मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने का इरादा रखता है। सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 2(च) और अधिनियम की धारा 2(ज) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत परिभाषित किया गया है। संबंधित अनुभाग नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं-

सूचना- धारा 2(च) "सचना" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, झापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने. माडल, आंकड़ों संबंधी

सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है;

लोक प्राधिकरण- 2(ज) "लोक प्राधिकारी" से-

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा , स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत,

i. कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;

ii. कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

2. सार्वजनिक प्राधिकरणों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जाए?

अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सार्वजनिक प्राधिकरणों को जिम्मेदार ठहराने के लिए आवेदकों द्वारा आरटीआई अधिनियम का प्रभावी ढंग से और कुशलता से उपयोग किया गया है। नीचे कुछ ऐसे उदाहरणों का उल्लेख किया गया है जो इस बात का आभास देते हैं कि कैसे सार्वजनिक प्राधिकरणों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जा सकता है-

i. अंडमान द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के निवासी टीके श्रीजीत विजय नामक एक माध्यमिक विद्यालय के छात्र के प्रयासों से उसके इलाके में सड़क की मरम्मत का काम हुआ। वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम उम्र के आरटीआई उपयोगकर्ता भी बने। इस उदाहरण ने हमें दिखाया कि कैसे सड़कों, शौचालयों, पार्कों आदि के रखरखाव के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों को जिम्मेदार ठहराने के लिए आरटीआई अधिनियम का उपयोग किया जा सकता है।

ii. वर्ष 2011 में एक स्नातक छात्र अपने इलाके में उचित मूल्य की दुकानों के प्रदर्शन से निराश था। उन्होंने तहसीलदार को एक आरटीआई आवेदन दायर कर आपूर्ति की जानकारी मांगी थी कि उनके गांव की उचित मूल्य की दुकान पिछले छह महीनों से, हर महीने कितनी आपूर्ति प्राप्त कर रही है। तहसीलदार द्वारा किए गए निरीक्षण से पता चला कि कैसे दुकान का मालिक गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए खाद्यान्न का विचलन कर रहा था और इससे मुनाफा कमा रहा था। यह एक ऐसी घटना है जो दर्शाती है कि किस प्रकार सार्वजनिक प्राधिकरणों को उनके धन और खाद्यान्न की खरीद के संबंध में जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इसने गुजरात के एसआईसी को उचित मूल्य की दुकानों पर राशन की आपूर्ति के सक्रिय प्रकटीकरण के लिए संबंधित सरकारी विभागों को आदेश देने के लिए प्रेरित किया।

iii. लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक स्कूल जाने वाली लड़की के प्रयासों से उसके इलाके के पास कूड़े के ढेर को एक आरटीआई आवेदन दाखिल करने के बाद साफ किया गया था। उसका आवेदन प्राप्त होने पर, लखनऊ नगर निगम ने जवाब दिया कि साइट को जल्द ही साफ किया जाना चाहिए और बाद में इसे एक पुस्तकालय में भी बदल दिया गया। यह एक और उदाहरण है कि कैसे स्थानीय

निकायों जैसे नगर निगमों, नगर परिषदों आदि को जवाबदेह ठहराने के लिए आरटीआई का उपयोग किया जा सकता है।

iv. एक विचाराधीन व्यक्ति की पत्नी द्वारा आपराधिक न्याय तंत्र में भी आरटीआई का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। महिला के पति पर मुकदमा चल रहा था और उसके सिर पर चोटें आई थीं और उसे अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। महिला ने मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्राथमिकी की एक प्रति प्राप्त करने के लिए एक आरटीआई आवेदन दायर किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे अदालत से मुआवजा प्राप्त करने में मदद मिली।

यह एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है कि कैसे आपराधिक न्याय तंत्र में आरटीआई अधिनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है।

3. सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही, जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई अधिनियम का उपयोग किया जा सकता है:

i. गैर-सरकारी संगठन की कपटपूर्ण गतिविधियों को उजागर करके;

ii. स्थानीय निकायों जैसे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में हुई चर्चाओं की जानकारी प्राप्त करके;

iii. पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि जैसे विभिन्न पहचान दस्तावेजों की स्थिति प्राप्त करके;

iv. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत लाभार्थियों की सूची प्राप्त करके;

v. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत लाभार्थियों की सूची प्राप्त करके;

vi. राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों को विनियोजित धन के बारे में जानकारी जानने के द्वारा;

vii. आरटीआई अधिनियम का उपयोग बड़े घोटालों को उजागर करने के लिए भी किया गया है जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

क. आदर्श आवास घोटाला

ख. 2जी घोटाला

ग. राष्ट्रमंडल खेल घोटाला

घ. कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला

ङ. इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी घोटाला

4. आरटीआई का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है?

i. आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना या तो संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन दाखिल करके या डाक द्वारा आवेदन भेजकर मांगी जा सकती है।

ii. ऐसा करते समय, आरटीआई आवेदक को सूचना कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में पता होना चाहिए।

iii. मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम के तहत दिए गए अपवादों के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद ही एक आरटीआई आवेदक आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा।